रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 1980/चैत्र 1, 1902
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 1980/CHAITRA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1980

सा. का. नि. 109(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1980 है ।

2. कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में, 1 अप्रैल, 1981 से, —

(1) नियम 2 के उप-नियम (ख) के खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) किसी कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी से प्राप्त कोई रकम जहां पूर्ववर्ती कम्पनी ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और जनता से कोई निक्षेप प्रतिगृहीत नहीं किया है ।"

(2) नियम 3 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) 1 अप्रैल, 1981 से ही कोई भी कम्पनी कोई निक्षेप प्रतिगृहीत या नवीकृत नहीं करेगी यदि ऐसे निक्षेपों की राशि ऐसे अन्य निक्षेप की राशियों सहित जो ऐसे निक्षेप के प्रतिग्रहण या नवीकरण की तारीख से पहले प्राप्त हुई थी और विद्यमान हैं, संकलित समादत्त अंशपूंजी और कम्पनी की खुली आरक्षितियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है ।"

[फा. सं. 4/2/80-सी.एल.-III]

एस. एम. डूगर, सदस्य,
कम्पनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1980.

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by section 58A read with section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following

rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

1. These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 1980.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, with effect from the first day of April, 1981,—

(1) In rule 2, in sub-rule (b), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iv) any amount received by a company from any other company where the former company has not gone into commercial production and has not accepted any deposit from the public."

(2) In rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) On and from the first day of April, 1981, no company shall accept or renew any deposit if the amount of any such deposit together with the amount of such other deposits, already received and outstanding on the date of receipt or renewal of such deposit, exceeds twenty-five per cent of the aggregate paid up share capital and free reserves of the company."

[No. 4/2/80-CL X]

S. M. DUGAR,
Member, Company Law Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980